अधिकारी कठूमर जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड ........................................ तारीख रजू.........................

मिसल नं. ........2/41/2021

गब्बर बनाम मिजाज वगैरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.03.2021 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।<br>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 66, 67, 68, वाके ग्राम ईमरतीकावास तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।<br>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 29.06.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.06.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |
| 16.4.21 | पत्रावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी के [illegible] कोर्ट में श्री [illegible] शक्ति शर्मा एडवो० ने वकालतनामा पेश प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रा०पत्र अस्थाई स्टे [illegible] खारिज कराने का निवेदन किया। प्रार्थी ने प्रा०पत्र पेश मूल वाद को भी खारिज कराना चाहा है। अतः प्रा०पत्र अस्थाई [illegible] प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील मूल वाद के साथ [illegible] सुनाया।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | [redacted] [illegible]<br>Id. by<br>Advocate |